छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in   Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–64 / रेरा / 2021 / 2097   रायपुर, दिनाँक 27 / 10 / 2021

/ / परिपत्र / /

विषय :– जुलाई, 2021 से सितम्बर, 2021 तक की अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन करने की अवधि में विस्तार के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–17 / रेरा / 2018 / 562, रायपुर दिनाँक 28 / 09 / 2018।

––00––

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 सहपठित धारा–4, 5 व 11 अंतर्गत छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। तत्संबंध में जुलाई, 2021 से सितम्बर, 2021 तक की अवधि हेतु बिना किसी विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2021 है। क्रेडाई द्वारा अप्रैल / मई, 2021 में लगाये गये लॉकडाउन व वर्तमान में अक्टूबर माह में त्यौहारों के कारण उक्त तिथि में वृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। चूँकि प्राधिकरण ने पूर्व त्रैमासिक अवधियों हेतु भी अद्यतन करने की तिथि में विस्तार किया था, इसलिये उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुये जुलाई, 2021 से सितम्बर, 2021 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के अद्यतन करने की तिथि में विस्तार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्राधिकरण द्वारा जुलाई से सितम्बर, 2021 तक की तिमाही हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अवधि में विस्तार करते हुये भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 अंतर्गत निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. जुलाई, 2021 से सितम्बर, 2021 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु तिथि 31 अक्टूबर, 2021 में 1 माह का विस्तार करते हुये बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2021 निर्धारित की जाती है। उक्त दिनाँक पश्चात् त्रैमासिक अद्यतन किये जाने की स्थिति में विलंब शुल्क यथावत देय होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

27/10/2021

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.